अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्याःजी-2-205/दस/2006-

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त-II,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 23 फरवरी, 2006

विषयः सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि पासबुक में जमा धनराशि एवं उस धनराशि के सापेक्ष कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के लेखों में पुस्तांकित धनराशि का मिलान प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 15.03.2005 की व्यवस्था को स्पष्ट किया जाना।

महोदय,

राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मृत्यु एवं सेवा- निवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का समय से तथा सही भुगतान करने के उद्देश्य से अभिदाताओं की सेवा-निवृत्ति के एक वर्ष पूर्व उनकी सामान्य भविष्य निधि पास-बुक में अंकित प्रविष्टियों का मिलान कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद के लेखों में पुस्तांकित धनराशि से प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करवाने से सम्बन्धित निर्देश शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2005 में जारी किये गये हैं। इन निर्देशों का मूल उद्देश्य यही रहा है कि सेवा-निवृत्ति के नज़दीक पहुंच चुके राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखे को अद्यावधिक एवं सही कर लिया जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पास बुक में किसी जमा/आहरित धनराशि का अंकन छूट नहीं गया है। इन निर्देशों का आशय यह बिल्कुल नहीं है कि सेवा-निवृत्ति के समय सामान्य भविष्य निधि पास-बुक में अवशेष के आधार पर 90 प्रतिशत का भुगतान उपरोक्त मिलान होने तक नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली-1985 (यथा संशोधित) के नियम-24 में स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है, जो बिना किसी संशोधन के यथावत् लागू है।

2- पिछले कुछ वर्षों में सामान्य भविष्य निधि खाते से स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत अतिशेष का त्रुटिपूर्ण भुगतान किये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें बाद में वसूली की स्थिति भी उत्पन्न हुई। इससे यह संकेत मिलता है कि कहीं-कहीं सामान्य भविष्य निधि पास बुक का रख-रखाव उचित

2/-.

ढंग से नहीं किया गया। इसी वजह से उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 15.03.2005 से इस आशय के आदेश निर्गत करने की आवश्यकता पड़ी कि सेवा-निवृत्ति के नज़दीक पहुंच चुके कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते के इन्द्राज का मिलान कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद में अनुरक्षित लेखों से भी समय रहते करवा लिया जाय ताकि त्रुटिपूर्ण भुगतान की गुंजाइश न रहे। इस परिप्रेक्ष्य में यह उचित होगा कि उपर्युक्त पत्र दिनांक 15.03.2005 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि पास बुक के इन्द्राज का समय रहते कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद के लेखों से मिलान करवा लिया जाय। यदि सेवा-निवृत्ति के पूर्व किन्हीं कारणों से ऐसा मिलान करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती तो मात्र इस आधार पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सेवा-निवृत्ति के समय सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान रोका नहीं जायेगा, परन्तु ऐसे भुगतान की प्रमाणकता के लिये स्वीकृति प्राधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव-I

पृष्ठांकन संख्याःजी-2-245(1)/दस/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार (निधि) (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(भुवन चन्द्र जोशी)
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एच0पी0-124 रा0 वित्त-2306-(3252)-10000 प्रतियां-कम्प्यूटर आफसेट।